Witness no.....17.....for.....**अभियोजन साक्षी**.Deposition taken the.....**20-02-2020**...day of ....**गुरूवार**.....Witness's apparent age-----61 **वर्ष** States on affirmation .....**शपथपूर्वक.....** My name is ..-**अशोक मांझी** S/o/W/o **सहदेव राम मांझे** Occupation **सहायक उपनिरीक्षक** Address **रक्षित केन्द्र दुर्ग (छ0ग0)**

———————————————————————————————

1— मैं थाना डी0डी0 नगर जिला रायपुर में वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 16.04.2018 के सुबह 05.00 बजे प्रार्थी मनोज पाण्डे पिता स्व0 एस0एन0 पाण्डे निवासी ओम सोसायटी सुंदर नगर द्वारा मृतक प्रकाश शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा उम्र—21 वर्ष इंदिरा कालोनी वार्ड नंबर 1 बसना जिला महासमुंद हाल निवासी ओम सोसायटी सुंदर नगर थाना डीडी नगर रायपुर के मृत्यु की सूचना दिये जाने पर मेरे द्वारा देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श दर्ज किया गया। उक्त देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी0—4 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

2— दिनांक 16.04.2018 को मृतक प्रकाश शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा की हत्या के संबंध में प्रार्थी मनोज पाण्डे के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराये जाने पर मेरे द्वारा देहाती नालसी प्रदर्श पी0—3 दर्ज किया गया था जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

3— तत्पश्चात् दिनांक 16.04.2018 को मेरे द्वारा मृतक प्रकाश शर्मा के शव का शव पंचनामा की कार्यवाही किये जाने हेतु गवाहों को नोटिस दिया गया था। गवाहों को नोटिस प्रदर्श पी0—5 है जिसके फ से फ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही मेरे द्वारा मृतक प्रकाश शर्मा के शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया था। उक्त शव नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी0—6 है जिसके फ से फ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

4— दिनांक 16.04.2018 को मेरे द्वारा मृतक प्रकाश शर्मा के शव का शव परीक्षण कराये जाने हेतु मेकाहारा रायपुर को आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन प्रदर्श पी0—32 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री फैजल रिजवी, अधिवक्ता वास्ते आरोपी अमृत शर्मा व भोजराज नंद :—

5— प्रदर्श पी0—4 मैंने ओम सोसायटी मनोज पाण्डेय के मकान में जाकर दर्ज किया था। मुझे घटना की सूचना गश्त के दौरान प्राप्त हुई थी। घटना की सूचना मुझे किससे प्राप्त हुई थी इस संबंध में अभियोग पत्र में उल्लेख नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी0—3 में स से स और द से द भाग में जो तारीख और समय अंकित है वह बाद में अंकित किया गया है और अलग पेन से लिखा गया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी0—3 में हत्या के संबंध में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

6— प्रदर्श पी0—4 भी मैंने घटना स्थल ओम सोसायटी जाकर लेखबद्ध किया है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी0—3 और प्रदर्श पी0—4 मैंने बाद में लेखबद्ध किया है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी0—3 बाद में लेखबद्ध किया गया है इसलिये दस्तखत के उपर की लाईन को छोटा करके लिखा गया है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अमीन खान, अधिवक्ता वास्ते आरोपी अनिल कुमार एवं चित्रसेन बेहरा :—

7— यह कहना सही है कि थाने से गश्त में रवाना होने के पूर्व थाने में गश्त की रवानगी सान्हा में दर्ज की जाती है तथा गश्त के लौटने के उपरांत गश्त के दौरान का संपूर्ण विवरण वापसी सान्हा में दर्ज किया जाता है। यह कहना सही है कि प्रकरण में ऐसा कोई रवानगी व वापसी का सान्हा प्रस्तुत नहीं है। देहाती मर्ग इंटीमेशन मैंने मनोज पाण्डेय के बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

8— यह कहना सही है कि देहाती नालसी प्रदर्श पी0—3 में राकेश पाण्डेय नामक व्यक्ति घटना स्थल पर किराये के मकान में रहने का उल्लेख है। यह कहना सही है कि राकेश पाण्डेय नामक व्यक्ति घटना स्थल के उसी मकान में किराये से रहता है का उल्लेख है। यह कहना सही है कि देहाती नालसी में जो बाते लिखी है उन्हें मैंने मौके पर सत्यापन किया था उसके उपरांत ही देहाती नालसी में लिखा है।

9— यह कहना सही है कि प्रदर्श पी0—4 के देहाती मर्ग इंटीमेशन में मर्ग क्रमांक के भाग स से स में 13 मैंने नहीं लिखा है। यह कहना सही है कि उक्त 13 मैने नहीं लिखा है किसी और ने लिखा है। यह कहना सही है कि शव परीक्षण के लिये आवेदन प्रदर्श पी0—32 में ब से ब भाग पर शव को भेजने का समय 16.04.2018 के 11.15 मिनट दर्ज है। यह कहना सही है कि दिनांक 16.04.2018 के 11.15 मिनट तक अपराध करने वालों के संबंध में कोई भी जानकारी पुलिस को ज्ञात नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि शव परीक्षण आवेदन में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य किसी पर शक जाहिर किया जाता है तो उसका उल्लेख भी शव परीक्षण आवेदन में किया जाता है।

10— यह कहना सही है कि मेरी कार्यवाही के दौरान आरोपीगण पर किसी भी माध्यम से कोई शक व संदेह जाहिर नहीं हुआ था। बाद में मेरे अन्य अधिकारियों के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध किस प्रकार से कार्यवाही की गयी है मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस कार्यवाही में शामिल नहीं था।

11— यह कहना सही है कि मैं मूल रूप से बसना का रहने वाला हूॅ। यह कहना सही है कि बसना की दूरी रायपुर से लगभग 132 किलोमीटर है। यह कहना सही है कि रायपुर से बसना के बीच लगभग 7 से 8 टोल नाके बने हुये और सभी टोल नाकों पर सीत्रसी.टी.व्ही. लगे हुये हैं।

साक्षी को बयान पढकर सुनाया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।
साक्षी ने सही होना स्वीकार किया।

बी0आर0 साहू
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

बी0आर0 साहू
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)